

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
पीठासीन अधिकारी-पीयूष समारिया, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या- 152/2022

जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर- 2022/...195...

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, 19-ए झुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर 302001 राजस्थान द्वारा प्राधिकृत अधिकारी धर्मेन्द्र गहलोत पुत्र प्रेमराज गहलोत, प्राधिकृत अधिकारी, एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, 19-ए झुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर 302001		1. होटल शिव शक्ति शुद्ध शाकाहारी भोजनालय ग्राम रोल तहसील जायल जिला नागौर 341027 2. पुखराज पुत्र रामचन्द्र निवासी बस स्टेण्ड रोल डिडिया कलां तहसील जायल जिला नागौर 341027 दूसरा पता- पुखराज, सम्पति ग्राम पंचायत का पट्टा संख्या 1 व 2 ग्राम रोल तहसील जायल जिला नागौर 3. विकास डिडेल पुत्र पुखराज डिडेल निवासी ग्राम रोल तहसील जायल जिला नागौर

आदेश

दिनांक: 17-5-2022

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ।

वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी/ ऋणी को रुपये 4,93,000/- (अक्षरे चार लाख तेरानवे हजार मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 24.08.2020 को ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में सम्पति -1 जायगा पट्टा संख्या 1 व 2 ग्राम रोल तहसील जायल जिला नागौर में स्थित है, जो 543.56 वर्गगज जायगा (पट्टे के अनुसार 555.56 वर्गगज) व उसमें स्थित सम्पति जिसमें भूमि, भवन व ढांचा आदि सभी जो सम्पति के अभिन्न अंग है, जो पुखराज द्वारा धारित है। जिसके पडौस निम्न है- उत्तर में- शंकरलाल पुत्र फूलचंद ईनाणी का बाडा, दक्षिण में- स्वयं की जगह, पूर्व में- कांसोलाव तालाब का अंगोर, पश्चिम में- डीडवाना नागौर रोड जिस सम्पति की उत्तरी व दक्षिणी भुजा 100-100 व पूर्व व पश्चिमी भुजा 25-25 फुट इस प्रकार कुल 2500 वर्गफुट जो 277.78 वर्गगज है। सम्पति-2 सम्पति पट्टा संख्या 2 के पडौस निम्न है-उत्तर में-स्वयं की जगह, दक्षिण में-गोपाराम फताराम का बाडा, पूर्व में-कांसोलाव तालाब का अंगोर, पश्चिम में-आम रास्ता डीडवाना रोड व निकाल जो प्रार्थी बैंक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एवं जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैंक के नियमानुसार भुगतान नहीं चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को दिनांक 16.01.2022 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में रुपये 4,78,139/- (अक्षरे चार लाख अठहत्तर हजार एक सौ उनचास रुपये मात्र) दिनांक 19.01.2022 तक शेष देय व दिनांक 20.01.2022 से आगे का ब्याज व खर्च सहित राशि बकाया निकलते हैं।



जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 19.01.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये एवं उक्त नोटिस का अखबार में प्रकाशन भी करवाया गया परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पत्ति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर-अन्दर ऋण राशि रुपये 4,78,139/- (अक्षरे चार लाख अठहत्तर हजार एक सौ उनचालिस रुपये मात्र) दिनांक 19.01.2022 तक शेष देय व दिनांक 20.01.2022 से आगे का ब्याज व खर्च सहित राशि को जमा कराना था परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को बंधक सम्पत्ति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैंक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिक्वोरिटीज एवं सिक्वोरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैंक सिक्वोरिटीज सम्पत्ति का विवरण :- सम्पत्ति -1 जायगा पट्टा संख्या 1 व 2 ग्राम रोल तहसील जायल जिला नागौर में स्थित है, जो 543.56 वर्गगज जायगा (पट्टे के अनुसार 555.56 वर्गगज) व उसमें स्थित सम्पत्ति जिसमें भूमि, भवन व ढांचा आदि सभी जो सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जो पुखराज द्वारा धारित है। जिसके पडौस निम्न है- उत्तर में- शंकरलाल पुत्र फूलचंद ईनाणी का बाडा, दक्षिण में- स्वयं की जगह, पूर्व में- कांसोलाव तालाब का अंगोर, पश्चिम में- डीडवाना नागौर रोड जिस सम्पत्ति की उत्तरी व दक्षिणी भुजा 100-100 व पूर्व व पश्चिमी भुजा 25-25 फुट इस प्रकार कुल 2500 वर्गफुट जो 277.78 वर्गगज है। सम्पत्ति-2 सम्पत्ति पट्टा संख्या 2 के पडौस निम्न है-उत्तर में-स्वयं की जगह, दक्षिण में-गोपाराम फताराम का बाडा, पूर्व में-कांसोलाव तालाब का अंगोर, पश्चिम में-आम रास्ता डीडवाना रोड व निकाल जिस सम्पत्ति की उत्तरी व दक्षिणी भुजा 100-100 व पूर्व व पश्चिमी भुजा 25-25 फुट इस प्रकार कुल 2500 वर्गफुट जो 277.78 वर्गगज है। जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डोक्यूमेन्टस का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से 4,93,000/- (अक्षरे चार लाख तेरानवे हजार मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 24.08.2020 को प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:- प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति



जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा, उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा, और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर—(क) उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमों को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानों को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध में पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व में सम्पत्ति—1 जायगा पट्टा संख्या 1 व 2 ग्राम रोल तहसील जायल जिला नागौर में स्थित है, जो 543.56 वर्गगज जायगा (पट्टे के अनुसार 555.56 वर्गगज) व उसमें स्थित सम्पत्ति जिसमें भूमि, भवन व ढांचा आदि सभी जो सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं, जो पुखराज द्वारा धारित है। जिसके पडौस निम्न हैं— उत्तर में— शंकरलाल पुत्र फूलचंद ईनाणी का बाडा, दक्षिण में— स्वयं की जगह, पूर्व में— कांसोलाव तालाब का अंगोर, पश्चिम में— डीडवाना नागौर रोड जिस सम्पत्ति की उत्तरी व दक्षिणी भुजा 100—100 व पूर्व व पश्चिमी भुजा 25—25 फुट इस प्रकार कुल 2500 वर्गफुट जो 277.78 वर्गगज है। सम्पत्ति—2 सम्पत्ति पट्टा संख्या 2 के पडौस निम्न हैं—उत्तर में—स्वयं की जगह, दक्षिण में—गोपाराम फताराम का बाडा, पूर्व में—कांसोलाव तालाब का अंगोर, पश्चिम में—आम रास्ता डीडवाना रोड व निकाल जिस सम्पत्ति की उत्तरी व दक्षिणी भुजा 100—100 व पूर्व व पश्चिमी भुजा 25—25 फुट इस प्रकार कुल 2500 वर्गफुट जो 277.78 वर्गगज है। जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, जो प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध में संबंधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त संपत्ति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे में हो तो उन दस्तावेजों को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।



(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट
जिला मजिस्ट्रेट
नागौर